न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1326–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 19–02–13 पारित अनुविभागीय अधिकारी, सागर प्रकरण कमांक 138/अ–27/2011–12 अपील.

1– पूरनसिंह पुत्र खिलानसिंह
2– हेमराजसिंह पुत्र पूरनसिंह
3– कल्याण सिंह पुत्र पूरनसिंह
4– राजेन्द्रसिंह पुत्र पूरनसिंह
5– अर्जुनसिंह पुत्र पूरनसिंह
सभी निवासी ग्राम औरिया, तहसील व
जिला सागर, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– वैजयन्तीबाई पुत्री सूरतसिंह पत्नि मलखानसिंह
2– सावित्री बाई पुत्री सूरतसिंह पत्नि हरपालसिंह
दोनों निवासी ग्राम विछुवा, तह0 व जिला
सागर, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री राजेश सेन, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री के0एस0 निगम, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 7.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय

अधिकारी, सागर के अपील प्रकरण कमांक 138/अ–27/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19–02–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार के संहिता की धारा 178 सहपठित धारा 109/110 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10–6–05 से असन्तुष्ट होकर अनावेदकगण ने 17–7–12 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की और विलम्ब को माफ करने के लिये म्याद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपील जानकारी दिनांक से समयावधि में होना अंकित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को धारा 5 के आवेदनपत्र पर सुनवायी का अवसर देने के बाद अपने आदेश दिनांक 19–02–12 व्दारा म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदनपत्र स्वीकार किया और अपील को समयावधि में मान्य की है। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण बैजन्तीबाई तथा सावित्रीबाई के सहमति शपथपत्र तथा बयान के आधार पर विधिवत प्रकिया अपनाने के बाद आदेश पारित किया गया है। सहमति आदेश के विरूध्द अपील आक्षेपित नहीं की जा सकती। उनका यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार के आदेश के 6 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। उन्होंने तहसील न्यायालय में सहमति शपथपत्र एवं कथन अंकित कराये थे। विलम्ब के संबंध में कोई संतुष्टीदायक तथा समाधानकारक कारण नहीं बतलाया गया है। इस संबंध में उन्होंने 1987 एमपी

वीकली नोट, नोट नं0 110, 2008 (1)एस सी सी डी 106 (एस.सी.) तथा 1978 रा.नि. 222 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमियों के सहभूमिस्वामी राजस्व अभिलेख में अंकित थी। खाते विभाजन के प्रकरण में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है। इस संबंध में उन्होंने 1992 रा.नि. 340 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया। उनका तर्क है कि अनावेदकगण सिर्फ हस्ताक्षर करना जानती है और अनपढ़ हैं जिसका फायदा उठाकर आवेदकगण ने कूटरचित शपथपत्र व सहमति पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। अनावेदकगण को नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा आदेश पारित करने के बाद भी आदेश की कोई सूचना नहीं दी। अनावेदकगण को आदेश की जानकारी होने पर उसने जानकारी के दिनांक से समयावधि में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। इस संबंध में उन्होंने मेरे समक्ष 1994 रा.नि. 102 तथा 1987 रा.नि. 425 की ओर आकर्षित कर निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न वर्ष 2004–05 की बी–1, किश्तबन्दी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 10.44 हे0 पूरनसींग पिता खिलानसिंह, बैजन्तीबाई सावित्रीबाई पिता सूरतसींग के भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में अंकित थी। संहिता की धारा 178 (1) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि यदि हक संबंधी प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न

के अवधारण के लिये सिवित वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो जाय। इसके द्वितीयक परन्तुक में यह प्रावधान है कि यदि उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर सिविल वाद फाइल कर दिया जाय और सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो तहसीलदार अपनी कार्यवाहियों को सिविल न्यायालय का विनिश्चय होने तक रोक रखेगा और यदि काई सिविल वाद उक्त कालावधि के भीतर फाइल न किया जाय तो रोक रखने के आदेश को अभिशून्य कर देगा और खाते के विभाजन की कार्यवाही अधिकार अभिलेख में की प्रविष्टियों के अनुसार करेगा। इससे स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत विभाजन की कार्यवाही में हक के प्रश्न के विनिश्चय की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है। गुलाब तथा अन्य वि. मांगीलाल (1992 रा.नि. 340) में मान. उच्च न्यायालय व्दारा यह व्यवस्था दी है कि 'हक का प्रश्न केवल सिविल न्यायालय व्दारा विनिश्चत किया जा सकता है– वास्तविक विभाजन म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 के उपबन्धों के अधीन राजस्व न्यायालय व्दारा किया जा सकता है।' ऐसी दशा में तहसील न्यायालय के आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं होने संबंधी आवेदकगण की आपत्ति मान्य नहीं की जा सकती।

6/ तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से विदित होता है कि नायब तहसीलदार ने दिनांक 7–6–05 को पटवारी मौजा को फर्द बटवारा बनाकर पेश करने के आदेश दिये और प्रकरण में आगामी कोई तिथि अंकित नहीं की। तत्पश्चात नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10–6–05 पारित किया है। आदेश पारित करने के पूर्व ना तो नायब तहसीलदार व्दारा पक्षकारों के तर्क सुने गये और ना ही आदेश पारित करने हेतु कोई तिथि नियत की। संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणाली तथा प्रकिया के नियम बनाये हैं। इसके नियम 8 (1) के अनुसार वाद–विवाद सुनने के पश्चात आदेश पारित किये जाने हेतु निश्चित दिनांक

नियत की जायेगी और नियत दिनांक को आदेश पारित करने पर आदेश की अतिरिक्त संसूचना देना आवश्यक नहीं है। यदि नियम 8(1) के अनुसार आदेश हेतु निश्चित दिनांक नियत नहीं की जाती तो नियम 8(2) के अनुसार आदेश पारित करने के पश्चात आदेश की संसूचना पक्षकार या उसके अधिवक्ता देना आवश्यक है। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार व्दारा प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु कोई दिनांक नियत की गयी, इस कारण आदेश पारित करने के पश्चात नियम 8(2) के अनुसार अनावेदकगण को आदेश की संसूचना दी जाना चाहिये थी, किन्तु नायब तहसीलदार के प्रकरण में अनावेदकगण को आदेश की संसूचना देना का कोई प्रमाण नहीं है। संहिता की धारा 47 के व्दितीय परन्तुक में यह प्रावधान है कि जहॉ आदेश पारित किये जाने के पूर्व सूचना न रही हों वहॉ इस धारा के अधीन परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किये जाने के तारीख से की जायेगी। अनावेदकगण के विरूध्द नायब तहसीलदार व्दारा एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गयी है, इस कारण समयावधि की गणना उक्त प्रावधानुसार आदेश की जानकारी के दिनांक से करते हुए अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील समयावधि में मान्य करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्य के अनुरूप नहीं होने से इस प्रकरण में लागू नहीं होते।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19–02–2013 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0